न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी— श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 73/18

1-श्री सम्पतलाल s/o श्री कार्मीराम शर्मा निवासी- सुरास, तहसील - मांडल

———प्रार्थी

बनाम

1-श्री रमेश s/o श्री मुण्डा गंवारिया निवासी- सुरास तहसील मांडल [मो.]

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0प0अधि0 1956

:: आ दे श ::   दिनांक— 26.4.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राजा0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवदन किया कि ग्राम सुरास......... पटवार हल्का सुरास.... तहसील मांडल / करेड़ा में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 1558, 1559, 1560/2, 1562/2, 1561/2 .....कुल किता....05 रकबा 01... बीघा 10.....बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमे प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.3.18.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त..........पटवार हल्का उक्त......... तहसील मांडल / करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर ....उक्त...कुल किता उक्त......रकबा उक्त.....बीघा उक्त.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक मौजा............को 300/-—रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार मांडल / करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा